उत्तराखण्ड शासन
खेलकूद अनुभाग
संख्या– /VI/2016–1(14)/2006
देहरादून : दिनांक : 6 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ओर इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुये इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तराखण्ड खेल विभाग अधिनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये **"उत्तराखण्ड खेल विभाग अधिनस्थ सेवा नियमावली, 2016"** को बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

संख्या– / VI/2016–1(14)/2006, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि, अधिसूचना के हिन्दी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–ख परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की **200 प्रतियां खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून** को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

संख्या–767/ VI/2016–1(14)/2006, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\August 2015\misc folder\Letter.doc.doc

उत्तराखण्ड शासन
खेलकूद अनुभाग
संख्या–767/VI/2016–1(14)2006
देहरादून : दिनांक 6 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड खेल विभाग अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड खेल विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2016

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खेल विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2016 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड खेल विभाग अधीनस्थ सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह **"ग"** के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं

3.जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली मे :–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से खेल निदेशक अभिप्रेत है,
(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता हो,
(ग) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है,
(घ) "आयोग" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है,
(ड.) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है,
(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,
(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,
(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड खेल विभाग अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है,
(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो,
(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है,